अनुबंध-I

स्कूल शिक्षा के संबंध में नीतिगत परामर्श के लिए प्रकरण और प्रश्न

I. प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना

प्रारंभिक शिक्षा में सुलभता और स्कूल में बने रहने में सुधार होने के बावजूद अधिकांश बच्चों के अधिगम परिणाम अभी भी गंभीर चिंता का विषय हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे, स्कूली शिक्षा के दौरान अपना बुनियादी कौशल नहीं सीख रहे हैं। पांचवी कक्षा के कई बच्चे सरल पाठों को भी नहीं पढ़ सकते और गणित के सरल सवालों को भी हल नहीं कर सकते। बच्चों के परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं हैं। सभी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्ष के दौरान संज्ञानात्मक कौशल का कम से कम एक सेट प्राप्त करें, यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्य, अधिगम परिणामों को परिभाषित करने और मापने के साथ-साथ प्रारंभिक कक्षा में पठन, लेखन, बोधगम्यता और गणित कार्यक्रम जैसे सुधारों को कार्यान्वित कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा-III, V और VII/VIII के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण के तीन चक्र पूरे कर लिए हैं। राज्य स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं और राज्य, राज्य स्तरीय अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित कर रहे हैं जो राज्य स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण के एक अथवा अधिक चक्रों के आयोजन के विभिन्न चरणों में हैं।

तथापि, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम को बेहतर बनाने के लिए इन सुधारों के साथ-साथ विभिन्न उपायों का पता लगाने की भी आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम उपलब्धि के निम्न स्तरों का कारण समझने, सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को आंकने और स्कूली बच्चों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के तरीके और पद्धतियां सुझाने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और उसके निर्धारक तत्वों जैसे कि प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, अच्छी पाठ्यचर्या और बच्चों के अधिगम परिणामों पर प्रभाव डालने वाला नवीन शिक्षा-शास्त्र सुनिश्चित करने संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की आवश्यकता है।

- आपके विचार से स्कूलों में आपके बच्चों के खराब निष्पादन के क्या कारण हैं?
- हम कैसे सुनिश्चित करें कि स्कूलों में बच्चे बुनियादी भाषा और अंक बोध कौशल सीखें?
- हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि स्कूलों में योग्य और पूर्णकालिक अध्यापक उपलब्ध हैं?

- हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वास्तव में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है?
- क्या कक्षा 1 और 2 के लिए समर्थित शिक्षक होने चाहिए?
- स्कूलों के नींव स्तर पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या आरंभ किए जाने की आवश्यकता है?
- क्या प्राइमरी स्कूलों में रंगीन फर्नीचर, रग्स प्ले-वे खिलौने, चार्ट, तस्वीरें आदि जैसे विशेष उपाय किए जाएं ताकि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को आकर्षित किया जा सके।
- क्या आप सोचते हैं कि प्राइमरी स्तर पर ही खेल, कला एवं विश्वास निर्माण उपाय आरंभ किए जाए?
- छात्र मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए?
- आरम्भिक स्तर पर बच्चों को सीखने के लिए कितनी भाषाएं उपलब्ध होनी चाहिएं?
- हम अपने देश में प्राइमरी-पूर्व/प्ले स्कूल उद्योग में कहां पाते हैं, जो लगता है, फलफूल रहा है?

राज्य यह उल्लेख करे कि वे किन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां चाहते हैं।

II. माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) की वास्तविकता के साथ अगला तर्कसंगत कदम माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, कक्षा-VIII और कक्षा-X के उन सभी योग्य छात्रों को समायोजित करने के लिए जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, संस्थान की अवस्थिति और प्रबंध की अपेक्षा किए बिना परिभाषित मानदण्ड के माध्यमिक शिक्षा प्रावधान सृजित करने की ओर संकेत करता है। यह अपेक्षित है कि स्कूली शिक्षा का आठ वर्ष का शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जैसी पहलें न केवल प्रारंभिक शिक्षा में भागीदारी के स्तर को बढ़ाएंगी बल्कि असल में आगामी वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा की आंतरिक क्षमता को बेहतर बनाएंगी और माध्यमिक शिक्षा में जाने के उच्च स्तर सुनिश्चित करेंगी। साथ ही विशेषतौर पर अधिक लाभवंचित समूहों में रिटेंशन और ट्रांजीशन दरों में सुधार के चलते, माध्यमिक स्कूलों पर अधिक बच्चों को दाखिला देने का दबाव बढ़ रहा है।

विभिन्न माध्यमिक स्कूल संस्थाओं और निकायों द्वारा व्यापक केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गुणवत्ता वृद्धि के लिए अधिक से अधिक भौगोलिक कवरेज, सामाजिक और जेंडर समावेशन तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। आरएमएसए को अब एकल व्यापक योजना के रूप में देखा जाता है जो माध्यमिक शिक्षा में कवरेज और गुणवत्ता के मामलों का समग्र रूप से समाधान करती है।

- 14-18 वर्ष की आयु समूह की लक्षित आबादी को हमने किस सीमा तक गुणवत्तापरक शिक्षा किफायती तरीके से उपलब्ध और सुलभ कराई है। ऐसा नहीं करने से समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव है?
- पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा के बाद की शिक्षा तक पहुचं को कैसे बढ़ाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा उसकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के अवसर से वंचित न रहे।
- माध्यमिक शिक्षा में भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं?
- छात्रों की विज्ञान और गणित विषयों में भागीदारी में सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है?

- विज्ञान और गणित में योग्यताप्राप्त शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। प्राइमरी/माध्यमिक शिक्षा दोनों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की जरूरतों का समाधान करने के लिए डीएसटी से कैसे सम्पर्क बना सकते हैं?
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बढ़ाने के लिए माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कितनी सीमा तक आईसीटी का उपयोग किया जा सकता है?
- बच्चों में समस्या समाधान तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के शिष्य मूल्यांकन पद्धतियां वांछनीय है?
- क्या माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यपुस्तकों में सुधार की आवश्यकता है?
- शिक्षक कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए क्या आवश्यक है?
- माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए?
- स्कूल व्यवस्था विस्तार के लिए क्या पीपीपी मॉडल व्यवहार्य है?
- आईसीटी आधारित हस्तक्षेप किस प्रकार से शिक्षा, क्षेत्र दौरों आदि को बढ़ा सकते हैं?

III. व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

देश के विकास के लिए सुविज्ञ और कुशल कार्मिकों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानव पूंजी के रूप में देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास दोनों को व्यक्तियों की उत्पादकता में वृद्धि, नियोक्ताओं की लाभप्रदता और राष्ट्रीय विकास के लिए जाना जाता है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य, विविध पाठ्यक्रमों के जरिए कुशल कार्मिक तैयार करना है ताकि मुख्य रूप से, असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और एक बड़ी संख्या में विविध पाठ्यक्रमों के जरिए बच्चों के मन में स्व-रोजगार कौशल की बात बैठाई जा सके। यह देखते हुए कि केवल 7 से 10 प्रतिशत जनसंख्या अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में लगी हुई हैं, व्यावसायिक शिक्षा के विकास से औपचारिक क्षेत्र में कुशल श्रम-शक्ति (कार्मिक) उपलब्ध होगी, जिससे उत्पादकता में और वृद्धि होगी। कई समितियों ने भी व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच और साझेदारी में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया है और मुख्य-धारा शिक्षा पद्धति के भीतर व्यावसायिक शिक्षा के लचीलेपन की सिफ़ारिश की है।

भारत में, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दो अलग-अलग ऊर्ध्वाधर रूपों में कार्य कर रही हैं, जहां इन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करने में हिचकिचाहट होती थी क्योंकि आम आशंका यह होती है कि कोई व्यक्ति इनके साथ उच्च डिग्रियों अथवा अर्हता को ज़ारी नहीं रख सकता। माध्यमिक शिक्षा योजना का व्यावसायीकरण सितंबर, 2014 में संशोधित किया गया था ताकि नियोजन और निष्पादन में उद्योग के साथ कमजोर सहक्रिया, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज गतिशीलता का अभाव, अनावश्यक पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं एवं प्रशिक्षित व्यावसायिक शैक्षणिक अध्यापकों की कमी, के मुद्दे का समाधान किया जा सके। राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए दिसम्बर, 2013 में अधिसूचित किया गया है। शिक्षा में कौशलों को एकीकृत करने और माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर नवीकृत ध्यान देने पर बल दिया गया है।

इसमें हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार करने की भी अपेक्षा की गई है ताकि कौशल विकास को सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाया जा सके।

- क्या कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को रोज़गार देने में सहायता करेगी?
- स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित करने में कौन सी कठिनाइयां आती हैं?
- व्यावसायिक शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे कौन से हैं?

- कुछ राज्य, मुख्यधारा शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से एकीकृत कर रहे हैं। अन्य सभी राज्यों में इन्हें कैसे अपनाया जा सकता है अथवा रूपांतरित किया जा सकता है?
- क्या व्यावसायिक शिक्षा विषय, कक्षा 12 अथवा 10 के श्रेष्ठ पांच या छह विषय अंक होने चाहिए?
- व्यावसायिक शिक्षा को छात्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है?
- निर्माण आधारित पाठ्यक्रमों के स्थान पर स्कूल सेवा-क्षेत्र पाठ्यक्रमों को स्कूलों में आरंभ किया जाए।
- स्कूल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिनका उपयोग स्कूली छात्रों को विज्ञान, गणित, लेखा, कम्प्यूटर, इतिहास, भूगोल सीखने में होता है, का वीई के लिए विकास किया जाए ताकि छात्रों की रोजगार परकता तथा ज्ञान आधार में सहायता प्राप्त हो।
- क्या स्कूल स्तर पर एक परामर्श स्तर कारक होना चाहिए जो बच्चे को शिल्प/उद्योग/सेवा की पहचान में सहायता करे कि बच्चा क्या चाहता है और उसके लिए कौशल सैट विकसित करके स्कूल में प्रत्येक बच्चे के लिए कौशल रोडमैप बना सकते हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर?

IV स्कूल परीक्षा प्रणालियों में सुधार करना

समस्या हल करने, विवेचनात्मक सोच और तर्क कौशलों पर विशेष ध्यान देने वाले परीक्षा संबंधी सुधार प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता बेहतर बनाने लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे सुधार शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में बदलाव लाएंगे और अधिगम परिणामों को बेहतर बनाएंगे। हाल के वर्षों में, सीबीएसई ने उससे संबद्ध स्कूलों में व्यापक परीक्षा सुधार आरंभ किए हैं, जैसे कि, कक्षा-X की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया गया है, अंकों के स्थान पर ग्रेड़िंग प्रणाली आरंभ की गई है।

सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) सुदृढ़ किया गया है ताकि छात्रों को उनके समग्र विकास के लिए निरंतर आधार पर आंका जा सके। सीसीई के कार्यान्वयन के लिए कक्षा-कक्ष में कई कार्यकलापों की अपेक्षा की जाती है जैसे कि बच्चे का प्रोफाइल और संचयी रिकॉर्ड तैयार करना, संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग जैसे पर्यवेक्षण, कक्षा-कक्ष में प्रश्न पूछना, बच्चों के लिए प्रक्रिया में निर्मित शिक्षण अधिगम/उपचारात्मक इन्पुट में सुधार करने हेतु एकत्र की गई सूचना का उपयोग करना। सीसीई में पेरेन्ट-टीचर मीटिंग के जरिए अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूचित करना भी शामिल है।

राज्य बोर्डों ने, पाठ्यचर्या को अद्यतन करने तथा परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रयास भी किए हैं। मौजूदा प्रणालियों की भली-भांति जांच किए जाने की आवश्यकता है।

- सीसीई को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकारी स्कूलों के क्या अनुभव हैं?
- क्या सीसीई से छात्रों के शैक्षिक निष्पादन में मदद मिली है?
- नो डिटेंशन पॉलिसी और सीसीई के संबंध में छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों की सामान्य फीडबैक क्या है?
- क्या दसवीं कक्षा की बोर्ड की समाप्ति से हमारे छात्रों में अधिगम का स्तर कम हुआ है?
- छात्रों के बेहतर मूल्यांकन के लिए अन्य किन सुधारों का सुझाव दिया जा सकता है?
- क्या हमारी परीक्षा प्रणाली केवल अधिगम का मूल्यांकन करती है?
- क्या परीक्षा प्रणाली को उन प्रश्नों की तरफ बदला जा सकता है जो छात्रों के समस्या समाधान योग्यताओं और गम्भीर मंथन के लिए उनकी अवधारणा को लागू करने का मूल्यांकन होता हो?
- मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है ताकि बच्चों को सोचने और नवाचार हेतु पुरस्कृत किया जाए।

V. गुणवत्तायुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक-शिक्षा को नया रूप देना

देश में शिक्षकों की गुणवत्ता भारी चिंता का विषय रहा है तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए यह एक बुनियादी पूर्वापेक्षा है। शिक्षकों की सक्षमता और उन्हें प्रेरित करना गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक कमियों का समाधान करने, गणित, विज्ञान और भाषाओं में माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की कमी, सेवापूर्व शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने और सेवाकालीन शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने, व्यवसाय के रूप में शिक्षण स्थिति को बढ़ाने, शिक्षण परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रेरणा और उनके उत्तरदायित्व में सुधार करने तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता और शिक्षकों में भी सुधार करने के लिए कई पहलें की जा रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों दोनों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के मामले, अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याएं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिकता की कमी, प्रशिक्षण और वास्तविक कक्षा-कक्ष व्यवहार का बेमेल होना, शिक्षक अनुपस्थिति और शिक्षक उत्तरदायित्व तथा शिक्षकों का गैर-शिक्षण कार्यकलापों में लगाना, इन सभी का समाधान करने की आवश्यकता है। गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से सीबीएसई ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का आरंभ किया है। राज्य सरकारों ने टीईटी आरंभ किया है।

- प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है?
- शिक्षण अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों विफल हुए हैं?
- स्कूल क्षेत्र में शिक्षक-शिक्षा के मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या व्यावहारिक हल है?
- क्या शिक्षकों में उत्तरदायित्व संस्कृति का निर्माण करने के लिए शिक्षक निष्पादन मूल्यांकनों की आवश्यकता है?
- क्या शिक्षकों की पदोन्नति उनके निष्पादन के अनुसार होनी चाहिए?
- क्या सभी शिक्षण/स्थानांतर पदों के लिए एक स्वत: कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अनिवार्य बनाई जाए ताकि यें युक्तिसंगत बनी रहे?
- सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के लिए क्या तरीके बनाए जा सकते हैं?

VI. प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय प्रणालियों के माध्यम से महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण साक्षरता को तेज करना।

साक्षरता शैक्षिक विकास का अभिन्न और आवश्यक तत्व है। जनसंख्या वृद्धि, बाल मृत्यु दर और गरीबी में कमी लाने और लिंग समानता प्राप्त करने, चिरकालिक और समग्र वृद्धि को सुकर बनाने के लिए साक्षरता मार्ग प्रदर्शित कर सकती है। इससे लोगों में प्रजातांत्रिक मूल्यों और शान्ति परिपोषित करने की व्यवस्था है। साक्षरता जनसंख्या के उन वर्गों के लिए और भी अधिक आवश्यक है जो ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित किए गए हैं। सार्वभौमिक प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना प्रौढ़ और अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का मौलिक उद्देश्य है जिसकी कि समय-समय पर कल्पना की गई है।

2011 की जनगणना से पता चला है कि साक्षरता में 9.2 प्रतिशत बिन्दुओं की प्रभावशाली दशकीय वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय साक्षरता स्तर 74 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े हैं (2001 में 64.8 प्रतिशत से)। 2011 की जनगणना में दर्शाया गया है कि महिला साक्षरता में पुरूष साक्षरता से कहीं अधिक वृद्धि हुई है। जबकि पुरूष साक्षरता दर 2001 में 75.26 प्रतिशत से 82.14 तक 6.86 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि हुई है महिला साक्षरता में इसी अवधि के दौरान 53.67 से 65.46 प्रतिशत की 11.79 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि दर्ज की गई है। लिंग अंतराल जो 2001 में 21.6 प्रतिशत बिन्दु था घटकर 16.7 रह गया है। फिर भी लिंग अंतराल लक्षित 10 प्रतिशत बिन्दु से अभी भी काफी ऊंचा है। इसलिए आज भी योजना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है: समग्र साक्षरता दर पांच प्रतिशत बिन्दु तक कम है, लिंग अंतराल को अभी 6.7 प्रतिशत बिन्दु तक कम करना है और सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी बरकरार हैं।

प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से यह साक्षरता स्तरों में वृद्धि करने और उन्हें बनाए रखने के प्रयासों की अनुपूरक है। 'साक्षर भारत' को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए रूप में तैयार किया गया है। योजना, प्रौढ़ शिक्षा, विशेष कर के महिलाओं की शिक्षा को, उन प्रौढ़ों को शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने द्वारा जिन्हें औपचारिक शिक्षा की सुलभता की कमी रही हो और जिन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की मानक आयु पार कर ली हो, अब जो शिक्षण की जरूरत का अनुभव करते हों जिसमें साक्षरता, बुनियादी शिक्षा (औपचारिक शिक्षा के समतुल्य), व्यावसायिक शिक्षा (कौशल विकास), शारीरिक और भावनात्मक विकास, व्यावहारिक कला, प्रायोगिक विज्ञान, खेलकूद और मनोरंजन में वृद्धि करना और सशक्त बनाना चाहा गया है। योजना को राष्ट्रीय स्तर पर 2012 तक प्रौढ़ महिला साक्षरता पर जोर देते हुए पुरूष और महिला के बीच साक्षरता में 10

प्रतिशत बिन्दु से अधिक साक्षरता प्राप्त कर 80% साक्षरता प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यद्यपि साक्षरता दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, साक्षरता स्तरों में जैंडर, सामाजिक और क्षेत्रीय, काफी असमानताएं विद्यमान हैं। साक्षरता स्तरों में वृद्धि का कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता और प्राथमिक स्कूलों में सुधार है। तथापि, सामाजिक रूप से हाशिए पर गए समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के साक्षरता स्तरों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों और मुक्त स्कूल प्रणाली के हस्तक्षेपों के माध्यम से आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

- ग्रामीण, ब्लॉक और जिला स्तरों पर साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में क्या बाधाएं हैं?
- शहरी बस्तियों जैसे झुग्गी-झोपड़ियों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना क्या अधिक कठिन है?
- क्या कारण है कि साक्षरता कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक वांछित स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं?
- साक्षरता स्तरों में विद्यमान असमानताओं को कम करने में तेजी से प्रगति करने के लिए अन्य क्या कार्य नीतियां अपनाई जा सकती हैं?
- क्या प्रौढ़ निरक्षरता के लिए मुक्त स्कूल प्रणाली अपनायी जानी चाहिए?
- क्या स्कूली छात्रों को साक्षरता कार्यक्रम के प्रचार में लगाया जा सकता है?
- आप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय जीविका कार्यक्रमों को जोड़कर उनमें एक विशिष्ट कौशल घटक को कैसे समेकित कर सकते हैं?

VII. स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पद्धतियों का संवर्धन।

आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण अंतर लाने की क्षमता रखती है। अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में सीमित कम्प्यूटर सुविधाएं हैं। यह कमी छात्रों को ज्ञान क्षेत्र में आईसीटी-संबंधित कौशल अर्जित करने से रोकती है और अध्यापकों की योग्यता को अपनी विषय-वस्तु की जानकारी को उन्नत करने और छात्रों की आवश्यक अधिगम सामग्री के प्रति पहुंच की योग्यता को सीमित करती है।

स्कूल शिक्षा में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति की अवधारणा और व्यवस्था स्कूल पद्धति में आईसीटी सहायता की एक सम्पूर्ण अवसंरचना का विकास करना है। स्कूल शिक्षा पर मिशन मॉड प्रोजेक्ट (एमएमपी) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में व्यापक प्रौद्योगिकी समर्थित स्कूल शिक्षा देने में सक्षम होगा। इसमें स्कूलों के सभी प्रमुखों, अध्यापकों, गैर-शिक्षण स्टाफ और छात्रों के लिए आईसीटी कौशल के विकास; सभी विषयों विशेषकर विज्ञान और गणित के अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्ता-निश्चित डिजिटल विषय-वस्तु भंडार का निर्माण, प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को ई-कंटेंट तैयार करने और उसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा-कक्षों में आईसीटी का प्रावधान या वहनीय सुविधाएं और रिचार्ज की जाने योग्य बैटरी के साथ एक प्रोजेक्टर, और आईसीटी-एकीकृत शिक्षा लागू करना, और शिक्षा पोर्टल्स की स्थापना सहित संस्थानिक और पद्धति स्तर पर आईसीटी-एकीकृत परीक्षा और ई-गवर्नेंस के प्रावधान को सक्षम बनाना समाविष्ट होगा। जैसाकि आईसीटी स्कूलों में विभिन्न तरीकों से लागू की जा रही है, हमें सभी प्रयासों में गुणवत्ता और क्षमता प्राप्ति के लिए इस प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग और लाभ उठाना होगा।

- स्कूलों द्वारा आईसीटी-एकीकरण कार्यान्वयन के दौरान सामना की जाने वाली आम समस्याएं कौन सी हैं?
- क्या आम मुद्दों के निपटान के लिए व्यवहार्य समाधान हैं?
- इस संबंध में राज्यों के अलग-अलग अनुभव क्या हैं?
- वे कौन-कौन से तरीक हैं जिनसे प्रौद्योगिकी का स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा दोनों में लाभ उठाया जा सकता है और सर्वोत्तम प्रक्रिया, यदि कोई हो, को साझा किया जा सकता है।
- हम यह कैसे पक्का पता लगाएं कि स्कूलों में आईसीटी कार्यात्मक है, विशेषकर चुनौतियों वाले राज्य अर्थात् अवसंरचना विशेषकर बिजली।

VIII. स्कूल शिक्षा में छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के शिक्षण हेतु नवीन ज्ञान, शिक्षण-शास्त्र और दृष्टिकोण।

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपायों में एक उपाय यह है कि अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्तियों के माध्यम से छात्र-शिक्षक अनुपातों को बढ़ाया जाए जिससे कक्षा-कक्ष के पारस्परिक कार्यव्यवहार और वातावरण में सुधार हो सके। इसके अलावा, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विज्ञान एवं गणित (और अंग्रेजी) की घटिया शिक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों के 80 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय में कम नामांकन और अपर्याप्त-गुणवत्ता वाली शिक्षा, देश में वैज्ञानिक मानव-शक्ति के विकास में अवरोध है। विज्ञान और गणित की शिक्षा में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विचाराधीन कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवाचार छात्रवृत्तियों के माध्यम से स्कूलों में नवाचारियों की प्रतिभा की पहचान करके नवाचार के संवर्धन को प्रेरित करना।
- छात्रों और उनके माता-पिता पर लक्षित हुए एक वृहद विज्ञान आउटरिच कार्यक्रम प्रारंभ करना, चल- प्रयोगशालाओं का प्रारंभ और विज्ञान-केन्दों की स्थापना।

शिक्षा में गुणवत्ता मूलरूप से पाठ्यचर्या और अधिगम उद्देश्यों, अधिगम सामग्री, शिक्षा शास्त्र प्रक्रियाओं, कक्षा-कक्ष मूल्यांकन संरचना, अध्ययन-कक्ष में शिक्षक सहायता और स्कूल नेतृत्व एवं प्रबंधन विकास पर निर्भर है। समाज में पैदा होने वाले मुद्दों और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस बात का संज्ञान लेने के लिए एक नियमित अन्तराल पर पाठ्यक्रम के एक नए ढ़ांचे की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न अधिगम पैकेजों को विकसित करने की जरूरत है जिसमें, शिक्षक की सहायता करने और बढ़े हुए विकल्प प्रदान करने के लिए क्लस्टर और स्कूल-स्तर पर संशोधनों के पर्याप्त प्रावधान हों। बारहवीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अधिगम वृद्धि कार्यक्रम (एलईपी) जारी है। प्रत्येक वर्ष में राज्यों को उन शैक्षणिक लक्ष्यों, जिनको लक्षित किया जा रहा है और उन कार्य-नीतियों (तरीकों,सामग्री,मॉडल और परिमापों) को स्पष्ट करना होता है जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रारंभिक स्कूलों के संस्थागत मूल्यांकन/प्रत्यायन की परिकल्पना की गई है।

- बेहतर परिणाम के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने हेतु व्यवहार्य कार्यनीतियां कौन सी हैं?

- शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए पाठ्यचर्या के नवीकरण, नवीन शिक्षा-शास्त्र और प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण कया हैं।

IX स्कूल मानक, स्कूल मूल्यांकन और स्कूल प्रबंधन प्रणाली

स्कूल कार्य के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रणाली को रखे जाने की आवश्यकता है जिसमें शैक्षिक और सह- शिक्षा क्षेत्र, वास्तविक अवसंचरना, संकाय प्रबंधन, स्कूल नेतृत्व, अधिगम परिणाम और छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों का संतुष्ट होना शामिल है।

स्कूलों में बेहतर शासी ढांचा, अधिदेश करने और राजी करने के मध्य प्रभावशाली संतुलन है, बेहतर प्रबंध व्यवहारों हेतु प्रधान अध्यापक के साथ जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, बेहतर अनुवीक्षण के लिए डाटा का प्रयोग करना और स्कूल निष्पादन का समर्थन करना और सामुदायिक स्रोतों और प्रयासों को एकत्र करके स्कूल निष्पादन में सुधार के लिए प्रयास करना। स्थानीय समुदाय और पंचायत प्राय: स्कूल प्रबंध में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं। हालांकि ग्रामीण शिक्षा समितियां/स्कूल प्रबंध समितियां अधिकांश गांवों में बनाई जाती हैं, इनमें से अधिकांश प्रभावी रूप से कार्य नहीं करती हैं। यह सामान्य तौर पर माना जाता है कि ग्रामीण स्कूल प्रभावी रूप से केवल तभी कार्य करेंगे जब स्थानीय समुदाय सक्रिय है और स्कूलों के कार्यकरण में भाग लेता है।

- स्कूल प्रबंधन में समुदाय भागीदारी में सुधार करने के कौन से तरीके हैं?
- स्कूलों के प्रबंधन में पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिए?
- हम कैसे स्कूलों में निर्धारण और प्रत्यायन प्रणाली का कार्यान्वयन कर सकते हैं?
- ग्रेडिंग स्कूलों के लिए निष्पादन संकेतक क्या हैं?
- वर्तमान अनुभव क्या हैं और किस प्रकार से वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है।
- क्या जिलों, ब्लॉकों आदि में शिक्षा अधिकारियों की भूमिका में नवीकरण का कोई मामला है, जिससे वें स्कूल विकास के प्रभारी बनें और स्कूलों में सुधार हो?

X समावेशी शिक्षा के योग्य बनाना-बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

सामाजिक पहुंच और समानता के मुद्दे बहुत अधिक जटिल हैं। हालांकि लाभवंचित समूह जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, बालिकाएं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य जनसंख्या के बीच औसत नामांकन में अंतरालों में कमी हुई है, फिर भी ऐतिहासिक रूप से लाभ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जिनके पास काफी कम अधिगम परिणाम हैं, के अधिगम स्तरों में बड़ा अंतराल है। विशाल और बढ़ रहे अधिगम अंतराल, नामांकन पर प्राप्त किए समानता लाभ के लिए खतरा है क्योंकि निम्न स्तर के अधिगम वाले अधिकांश बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की संभावना होती है। बालिकाओं और अन्य विशेष वर्ग वाले बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए विशेष हस्तक्षेपों को बनाया जा रहा है। महिला पुरूष और सामाजिक अंतरालों में सेतु बनाने और प्रभावी समावेश हेतु केन्द्रित कार्य नीतियों की पहचान करने में वर्तमान हस्तक्षेपों की जांच करने की आवश्कता है।

शिक्षा के अधिकार को अपनाने और प्रणाली का व्यापक विस्तार करने के साथ, स्कूल शिक्षा को सुलभ बनाना लगभग सार्वभौमिक बन गया है। तथापि जनसंख्या के कुछ वर्गों से बच्चे अनेक विशेष तरीके होने के बावजूद शिक्षा प्रणाली से पूर्णतया लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं।

अधिकांश बालिकाएं स्कूल भेजी नहीं जाती हैं और जो बालिकाएं प्राथमिक स्तर को पूरा कर लेती हैं, उन्हें माध्यमिक स्तर और कॉलेजों में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए भेजा नहीं जाता है।

- हम कैसे स्कूलों में हाशिये वाले समूह विशेषतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं?
- विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों की भागीदारी को सुसाध्य बनाने हेतु हमारे शैक्षिक संस्थानों को सही अर्थों में समावेशी बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए?
- आपके विचार में विशेष तौर पर स्कूलों में लाभ वंचित परिवारों के बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार क्या सहायता कर सकता है?

- माता-पिता क्यों अपनी बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते हैं?
- स्कूलों में बालिकाओं को लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से तरीके अपनाने चाहिए?
- किस प्रकार से हम सभी बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए सामुदायिक सहायता का जुटाव कर सकते हैं?
- क्या कोई परम्परागत कौशल सैट हैं जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है?
- क्या विशेष कौशल सैट तथा वित्तीय और विधि साक्षरता घटक बालिका/महिला शिक्षा में शामिल किए जा सकते हैं?
- भाषायी चुनौतियां कैसे पहचानी जाएं और उनके क्या हल संभव हैं?

XI भाषाओं का प्रोन्ययन

ेएक बहु-भाषी समाज भाषाओं में शिक्षा के महत्व की पहचान करता है। यद्यपि यहां भाषाओं शिक्षकों की नियुक्ति और शास्त्रीय भाषाओं के प्रोन्ययन हेतु कुछ हस्तक्षेप हैं, यहां कोई व्यापक योजना या भाषा नीति नहीं है और हमें इस आयाम पर इनपुट की आवश्यकता है। भारत, सिद्धांत के रूप में, त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण करता है। स्कूलों के प्रारंभिक स्तर में कम से कम मातृ भाषा के माध्यम से अधिगम पर बल दिया जाता है। यहां एक सामान्य अवधारणा यह भी है कि बच्चे विश्व कार्य में प्रवेश करते हुए अन्य भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी माध्यम से अधिगम का लाभ उठाते हैं।

बहुभाषी शिक्षा का वर्तमान स्तर यह संकेत देता है कि व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आंध्रप्रदेश और ओडिशा के राज्यों द्वारा, जिनमें 8-10 जनजातीय भाषाएं शामिल हैं, कार्यान्वित किया जा रहा है। असम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सामग्री जैसे शब्दकोश; गृह भाषा से शिक्षा के माध्यम में बच्चों के लिए सेतु बनाने हेतु रीडिंग कार्ड्स का विकास कर लिया है। राज्य धीरे-धीरे शामिल स्कूलों की संख्या का विस्तार कर रहे हैं, नई भाषा को जोड़ रहे हैं और द्विभाषी या बहुभाषी कक्षा-कक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं।

मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रभाव ने जनजातीय छात्रों की उपस्थिति और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की संख्या में वृद्धि की है, बच्चे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिक जुड़े हुए हैं, जनजातीय संस्कृति से चित्रों और कलाकृतियों पर पारस्परिक प्रभाव डालने, सजीव वस्तुओं का प्रयोग करते हैं।

एनसीईआरटी मूल्यांकन अध्ययन ने यह पाया है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा ने भाषा और गणित में छात्रों की उपलब्धि में सकारात्मक प्रभाव डाला था। गैर हस्तक्षेप वाले स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों के बच्चों द्वारा भाषा और गणित में मौखिक, लिखित परीक्षाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

- वे कौन सी भाषाएं हैं जो आप स्कूलों में अपने बच्चों को सिखाना पसंद करेंगे?
- स्कूल शिक्षा में अंग्रेजी, हिन्दी और स्थानीय भाषाओं का क्या स्थान होना चाहिए?
- स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए आप कौन सी भाषा को प्राथमिकता देंगे?
- क्या हमें स्कूलों में मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए? इसे कार्यान्वित करने में कौन सी मुश्किले हैं?
- *(क्या त्रिभाषायी फार्मूले पर विचार किया जाए?)
- *(अति प्रतियोगी विश्व में किस स्तर पर और कैसे विदेशी भाषाओं को एक अतिरिक्त साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाए?)

XII व्यापक शिक्षा- नीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, जीवन कौशल

शिक्षा का संबंध बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है (ज्ञानात्मक के साथ शारीरिक, सामाजिक-भावनात्मक), केवल अकादमिक उपलब्धि की बजाय सभी पहलुओं का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। 12 वी योजना पहलों के भाग के रूप में, अब यहां अन्य गैर-शैक्षिक क्षेत्रों में और अधिगम परिणाम को सुधार कर बच्चों के समग्र विकास पर प्रणाली-व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों को समग्र विकास की आवश्यकता है जिसे केवल सूचना और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और स्पोर्टस को बच्चों के समग्र विकास के लिए स्कूलों में दैनिकचर्या और पाठयचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची यह अधिदेश देती है कि सभी स्कूलों को खेल सामग्री, खेल-कूद और स्पोर्टस उपकरण प्रदान करने होंगे। चूंकि बहुत से शहरी स्कूलों के पास स्वयं अपने लिए स्पोर्टस की अपर्याप्त सुविधाएं हैं, पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं के साथ अन्य पड़ोसी स्कूलों और नगर निगम के पार्कों को भी और सार्वजनिक खेल क्षेत्रों को नाममात्र रखरखाव लागत पर स्कूल समय के दौरान ऐसे स्कूलों के बच्चों के लिए खोलने चाहिए। नवाचार दृष्टिकोणों का निर्माण पहले ही आरम्भ हो गया है, शिक्षकों को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित भी होना चाहिए और अपनी सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों के भाग के रूप में समावेशी शारीरिक शिक्षा सत्र का नेतृत्व करना चाहिए।

दृश्य और कला प्रदर्शन स्कूल शिक्षा के अभिन्न भाग हैं और विभिन्न योग्यताओं के साथ बच्चों के लिए मंच भी प्रदान करते हैं। कला शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शक्ति प्राप्त उपकरण है। यह बच्चों में स्वतंत्र रूप से विचारों, भावनाओं को प्रकट करने और सोचने, समझने और दृष्टिकोण का निर्माण करने के योग्य बनाता है। बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में खुशी, स्वतंत्रता को महसूस करते हैं जब उन्हें भाग लेने और विचार प्रकट करने के लिए अपनी इन्द्रियों के माध्यम से खोजने, कल्पना करने, सोचने और अवलोकन करने का अवसर मिलता है। यह रूचि को बढ़ाता है क्योंकि बच्चे अपने दैनिक जीवन के साथ सभी विषयों सहित कलाओं को जोडते हैं। कला में ज्ञानात्मक घटक है यह हमें सोचने, चिंतन करने, परिकल्पना करने, महसूस करने, समझने और सृजित करने योग्य बनाता है। विख्यात कला संस्थाएं और केन्द्रीय अकादमियां, स्कूल पाठ्यचर्या और इसके कार्यान्वयन में कलाओं को शामिल करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।

मूल्यों, नीति विषयक, कलाओं का मूल्यांकन करने, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और जीवन कौशलों के लिए ज्ञान के सुग्राहीकरण की आवशयकता है।

- खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, स्कूल पाठ्यचर्या में मूल्य शिक्षा और जीविका के लिए कार्यात्मक कौशल के एकीकरण हेतु उपस्करों एवं ठोस प्रणालियों के लिए क्या सुझाव हैं।
- अभी तक क्या अनुभव रहे हैं और हम उन्हें रचनात्मक तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं।
- हम आगे कैसे इस संभावना का पता लगाएं जिससे नीतिगत शिक्षा अनिवार्य बने?
- एनसीसी की व्यापक शिक्षा को प्रोत्साहन देने में क्या भूमिका है?

XIII बाल स्वास्थ्य पर बल

बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधारने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय उपयुक्त अन्तःक्षेपों के माध्यम से बाल स्वास्थ्य को प्रोन्नत करने पर ध्यान दे रहा है।

इस समय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 6-14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की पौषणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है जिस पर मध्याहन भोजन (एमडीएम) योजना द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ प्राथमिक स्कूल के बच्चों के बीच पौषणिक स्तरों को सुधारने के लिए अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के साथ इस योजना का विस्तार किया गया और योजना को 'स्कूलों में राष्ट्रीय मध्यान भोजना कार्यक्रम' के नाम से पुनः नामित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य (I) I से VIII की कक्षाओं को बच्चों की पौषणिक स्थिति को सुधारना, (II) कक्षा कक्षों के कार्यकलापों पर ध्यान देने में सहायता करना एवं नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होने के लिए लाभवंचित वर्गों के निर्धन बच्चों को प्रोत्साहित करना, और (III) ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करना है। स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम अब सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के I-VIII तक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल कर रहा है। फिर भी कुपोषण, भूख और खराब स्वास्थ्य महत्वपूर्ण समस्याएं बनी हुई है जो कक्षाओं में उपस्थिति और निष्पादन पर व्यापक प्रभाव डालती है।

ईसीजीई के लिए प्रमुख सार्वजनिक पहल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास सेवाएं (आईजीडीएस) है जिसका उद्देश्य एक तरफ पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान करने की चुनौतियों का प्रत्युतर और दूसरी तरफ कुपोषण, विकृति के अनैतिक चक्र को खत्म करना, अध्ययन क्षमता और मृत्युदर को कम करना है। आईसीडीएस में 0-5+ वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों के पोषात्मक और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की व्यवस्था है, यह बच्चे का उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का आधार रखता है, यह मृत्युदर, विकृति, कुपोषण और पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करता है; बाल विकास को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य कार्यान्वयन और नीति के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करती हैं; यह उपयुक्त पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पौषणिक आवश्यकताओं की देखरेख करने के लिए मा की क्षमताओं को बढ़ाने की व्यवस्था करती है। तथापि, भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों को सहक्रियात्मक करने की आवश्यकता है।

- स्वास्थ्य, महिला बाल विकास मंत्रालय एवं स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा बाल स्वास्थ्य के उद्देश्य की योजनाओं के परिणाम क्या हैं?
- क्या विद्यमान योजनाएं इष्टतम और समग्र परिणामों के लिए विभिन्न उचित समन्वय और सहक्रिया के तहत है? यदि नहीं, तो इनका समाधान कैसे किया जा सकता है।
- बाल स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं? किसी राज्य के ऐसे अनुभव जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवलित और उन्नयन किया जा सके।
- स्कूल शिक्षा प्रणाली में अलग-अलग बाल स्वास्थ्य को कैसे जाना जा सकता है और राज्य तथा केन्द्र को सही समय पर सूचना उपलब्ध हो?